न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 15 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

1–श्री राधेश्याम (मृतक) पुत्र श्री गोपाल
1 / 1– श्री मुरलीमनोहर पुत्रगण श्री राधेश्याम जाति–धोबी नि. फतेहपुर तह0 बारां
1 / 2 –श्री कालूलाल
1 / 3 –श्री सिकन्दर
1 / 4– श्रीमति भूली बाई बेवा श्री राधेश्याम जाति–धोबी नि. फतेहपुर तह0 बारां
2–श्री मोहनलाल पुत्रगण श्री गोपाल जाति–धोबी नि. फतेहपुर तह0 बारां
3– श्री रूपचन्द
4–श्रीमति सुशीलाबाई पत्नि श्री रूपचन्द जाति–धोबी नि. फतेहपुर तहसील–बारां जिला बारां (राजस्थान)

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 31.03.2021

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 56 रकबा 0.02 है. एवं ख0 नं0 58 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी I वाके ग्राम चांदपुरा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा रहे है, जिसके सम्वत् [illegible] जमाबन्दी में खातेदार श्री गोपाल पुत्र गोविन्दा जाति–धोबी सा.देह फतेहपुर तहसील बारां [illegible] गैर खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा [illegible] सम्वत् 2015–24 में गै.मु. नाला दर्ज है। जिसका आवंटन / नियमन अप्रार्थीगण के पिता / दादा को किया गया है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि है। इसलिये अप्रार्थीगण के पिता को किया गया आवंटन / नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06.17 IST
Reason: SelfAttested

1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुये तथा दिनांक 29.08.2016 को जवाब रेफरेंस पेश किया गया।

3– अप्रार्थीगण अभिभाषक ने अपने जवाब में लिखा है कि भौगोलिक परिवर्तन से भूमि की किस्म में हुये परिवर्तन उपरान्त राजस्व रिकार्ड की मौजूदा किस्म अनुसार किये गये आवन्टन के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है। ख.नं. 24 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा की किस्म में हुये बदलाव उपरान्त तत्समय समतल भूमि होने से राजस्व रिकार्ड में किस्म परिवर्तन उपरान्त उक्त आराजीयात आवन्टन नियमों अनुसार आवन्टन कमेटी द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिहीन काश्तकार को आवंटन की । आवंटित भूमि पर आवंटी ने कब्जा प्राप्त कर नियमित काश्त कर अपना तथा अपने परिवार का जीवकोपार्जन किया। हाल खसरा नं. 56, 58 की आराजीयात पर नियमित कब्जे के आधार पर आवन्टी काश्तकार को विधिवत खातेदारी प्रदान की गयी। वर्तमान में आवंटी के उत्तराधिकारी अपने पिता एवं दादा से विरासत में मिली आराजी को काश्त कर अपना तथा अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हाल खसरा नं. 56, 58 की आराजी की किस्म नहरी प्रथम है। उक्त आराजी के आसपास कहीं भी नाले का अस्तित्व नहीं है। उक्त आराजीयात के आसपास काश्त भूमि है। उक्त रिकार्डेड तथ्यों को अनदेखा कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस निरस्त किये जाने योग्य है। अतः रेफरेंस कार्यवाहीं निरस्त फरमायी जावे।

4– प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर बहस विद्वान पेरोकार सरकार व अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी गयी।

5– बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/दादा श्री गोपाल पुत्र गोविन्दा [illegible] धोबी सा.देह फतेहपुर तहसील–बारां को ग्राम चांदपुरा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. नाला में से भूमि आवंटित हुयी थी। जिस वक्त भूमि आवंटित हुयी है उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.नाला थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 56 रकबा 0.02 है0 एवं ख0नं0 58 रकबा 0.23 है0 बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी I दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:17 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थीगण को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने पेरोकार सरकार के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता/दादा श्री गोपाल पुत्र गोविन्दा जाति–धोबी सा.देह फतेहपुर तहसील–बारां अनुसूचित जाति के भूमिहीन कृषक होने से, उन्हे उक्त आराजी आवंटित हुई थी। वक्त आवंटन उक्त आराजी काबिल काश्त थी जिस कारण उक्त आराजी आवंटित की गयी थी तथा तत्समय मौके पर दखल भी दिया गया था। इसलिये पेरोकार सरकार का यह कहना कि वक्त आवंटन उक्त आराजी गै.मु.नाला थी। पूर्णतया निराधार है। राजस्व रेकार्ड में यदि गै.मु.नाला दर्ज है तो रेकार्ड दुरूस्ती का मामला बनता है। उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण आवंटन पश्चात् से बदस्तूर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त कर परिवार का पालन पोषण करते आ रहे है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर ख0नं0 56 रकबा 0.02 है0 एवं ख0नं0 58 रकबा 0.23 है0 बने है जो वर्तमान में सम्वत् 2069–72 जमाबन्दी अनुसार अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आवंटित आराजी पर अप्रार्थीगण को खातेदारी मिल चुकी है।

साथ ही निवेदन किया कि तहसीलदार, बारां द्वारा 60 वर्ष पश्चात् अब्दुल रहमान बनाम सरकार रिट में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 के आधार पर उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आवंटन सरकार द्वारा किया गया है जिसमें स्टेट की ओर से तहसीलदार द्वारा रिप्रजेन्ट किया गया है। इसलिये तहसीलदार को उक्त कार्यवाहीं प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण के पिता/दादा को उक्त आराजीयात् का विधि सम्मत व प्रकिया के तहत आवंटन हुआ है जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिये रेफरेन्स प्रार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:17 IST
Reason: SelfAttested

7– हमने पेरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2015–24 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता/दादा श्री गोपाल पुत्र गोविन्दा जाति–धोबी सा.देह फतेहपुर तहसील–बारां को आवंटन किया गया है।

उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 है0 एवं ख0नं0 58 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी I बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी गै.मु. नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थीगण के पिता/दादा को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

8— अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पिता/दादा को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा सेटलमेंट पूर्व सम्वत 2015—24 में किस्म गै.मु. नाला खाता सरकार दर्ज थी। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 है0 एवं ख0नं0 58 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी I बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु. नाला दर्ज थी जिसका आवंटन अप्रार्थीगण के पिता/दादा को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

9— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम चांदपुरा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 है0 एवं ख0नं0 58 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 24 रकबा 4 बीधा 6 बिस्वा किस्म गै.मु.नाला से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता/दादा को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

10— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.02 है0 एवं ख0नं0 58 रकबा 0.23 है0 किस्म नहरी I वाके ग्राम चांदपुरा तहसील—बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तांतरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:06:17 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां